न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–435/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00068)

1. प्रताप सिंह पुत्र श्री सम्मान सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खटकड़, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुन, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. दीपक यादव पुत्र सतीश यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम सिकोहपुर, तहसील माणेसर, जिला गुड़गांव, हरियाणा।
2. हरिसिंह पुत्र अभय सिंह यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम सिकोहपुर, तहसील माणेसर, जिला गुड़गांव, हरियाणा।
3. उषा देवी पत्नी देवेन्द्र सिंह यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम सिकोहपुर, तहसील माणेसर, जिला गुड़गांव, हरियाणा।
4. राजेश पुत्र विजयपाल यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम सिकोहपुर तहसील माणेसर जिला गुड़गांव, हरियाणा।
5. बाबूलाल,
6. सरदारा पुत्रान नौरंगराम, जाति कीर, निवासीगण ग्राम खटकड, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
7. सरकार जरिये तहसीलदार, उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 25.09.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 03.11.2016 (प्रकरण संख्या 245/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर कतई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बरान 775 एवं 776 का काबिज रिकार्डेड खातेदार है तथा अपीलान्ट प्रार्थना पत्र पेशकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दीपक का पड़ौसी काश्तकार है तथा बिना उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार गुढागौडजी दिनांक 15.06.2016 को आधार मानते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 100, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार करने में तथा सीमाज्ञान का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2016 पूर्णतया विधि–विधान, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के विस्तृत जवाब के साथ आपत्तियॉ व

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम भी पेश किया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को मात्र एक लाईन में यह लिखकर कि प्रार्थी प्रतापसिंह के प्रार्थना पत्र धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रकरण में कोई औचित्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है, इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व आपत्तियों पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार विमर्श नही किया गया एवं न ही उन्हे पढ़ने तक का कष्ट किया तथा महज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य से अपीलान्ट को एक तरीक से बेदखल करने हेतु प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर भी कतई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मौके पर कतई कोई कब्जा नही है, वे वास्तविक रूप से हरियाणा के निवासी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रकरण धारा 110 व 128 भू राजस्व अधिनियम की परिधि में भी नही आता है किन्तु फिर भी उन्हे मौके पर अवैध रूप से कब्जा दिलाने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में गंभीर कानूनी भूल की है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण रिकार्ड जमाबन्दी नक्शे, गिरदावरी खसरा आदि का कतई कोई अवलोकन तक नही किया गया जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट विवादित कृषि भूमियों, खसरा नम्बरान 775, 776 का काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उसे सन् 1965 में भूतपूर्व सैनिक होने के नाते उक्त भूमि सरकार ने आवंटित की थी किन्तु महज अपीलान्ट को उनकी खातेदारी, कब्जे काश्त की भूमि से वंचित करने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय ने जो आज्ञा जैर अपील पारित की है, वह आज्ञा सरासर विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर भी कतई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिकारों का निर्धारण इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों, समरी प्रोसिडिन्स के माध्यम से नही हो सकता है, बल्कि इसके लिये तो उन्हे नियमित वाद के माध्यम से ही राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने चाहिये। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर भी कतई ध्यान नही दिया कि गत खसरा नम्बर 1299 जिसके हाल नम्बर 775 एवं गत खसरा नम्बर 1300 जिसके हाल खसरा नम्बर 776 बने है, के नक्शे में भी कांट–छांट बिना किसी सक्षम राजस्व अधिकारी के आदेश हुऐ ही कर दिया है, जिसके लिये भी अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को निवेदन किया था किन्तु उन्होने इस बिन्दू पर भी कतई कोई ध्यान नही दिया तथा प्रकरण की सही एवं वास्तविक वस्तुस्थिति को समझे बिना ही महज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुॅचाने की दृष्टि से उनका क्षेत्राधिकार विहिन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नायब तहसीलदार गुढागौडजी ने जो फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.06.2016 को एकपक्षीय रूप से तैयार की गई थी, वो रिपोर्ट नायब तहसीलदार भी मौके व कब्जे की वास्तविक स्थिति की जांच किये बिना तथा मौके के विपरित व प्रभावित पक्षकारों को सुने बिना ही तैयार की गई थी। उन्होने कथन किया है कि नायब तहसीलदार ने सह खातेदारों, यहॉ तक कि अपीलान्ट को भी कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया व उनकी अनुपस्थिति में ही उक्त मौका रिपोर्ट फर्द तैयार की गई है, जिसका कानून की नजर में कोई महत्व नही है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त एकपक्षीय फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.06.16 की पालना कराये जाने व उसके अनुसार सीमाज्ञान किये जाने का तहसीलदार उदयपुरवाटी को जो आदेश पारित किया है, वह आज्ञा जैर अपील सरासर कानून के विपरित एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2016 को निरस्त फरमाया जाकर सभी प्रभावित पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार उदयपुरवाटी से पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कराते हुऐ पक्षकारान को मौके पर सुना जाकर नये सिरे से तैयार करते हुऐ उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को उनके समक्ष लम्बित सभी प्रार्थना पत्र निर्णित करने व विधि अनुसार कार्यवाही करने हुए निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 740 रकबा 0.3200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 749 रकबा 0.5400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 755 रकबा 7.3500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.4500 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 8.6600 हैक्टयर अवस्थित है जो कि रेस्पोडेनट संख्या 1 लगायत 4 की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि है तथा ग्राम खटकड़ की सरहद में ही भूमि खसरा नम्बर 775 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 776 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 735 अवस्थित है, जो कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 6 के कब्जें काश्त व राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उन्होने कथन किया है कि ग्राम खटकड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 775 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 776 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 735 अवस्थित है जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 कमाने खाने के लिये घर से बाहर रहते है इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की भूमि खसरा नम्बर 755 के पूर्वी सीमा के साथ अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की भूमि की सीमाओ क साथ छेड़खानी करते रहते है तथा सीमा को लेकर झगडे की भी सम्भावना रहती है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की पूर्वी सीमा की डोल को काटते रहते है तथा उक्त सीमा की डोल को कभी भी नही बांधते है इस कारण उक्त पूर्वी सीमा पर रेस्पोडेन्ट की डोल नही लगाने देते है तथा अपीलान्ट व

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6 झगडा करने पर आमादा रहते है इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी भूमि के सीमा चिन्ह पर कानूनी रूप से पुख्ता पत्थरगढी करवाकर अपनी भूमि के चारों ओर तारबन्दी करवाना चाहता है इसके लिये रेस्पोडेन्ट ने अपने कब्जे काश्त की भूमि का सीमाज्ञान नायब तहसीलदार गुढागौडजी के आदेश क्रमाक 16/741–44 दिनांक 13.06.16 कर पालना में पटवार हल्का केड़ तथा अन्य पटवारी हल्का गुढागौडजी पटवारी हल्का टीटनवाड व गिरदावर की उपस्थिति मे कानूनी रूप से निर्धारित फिस का चालान जमा करवाकर पक्षकारों की मौजूदगी मे बाकायदा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.06.16 को तैयार कर नायब तहसीलदार गुढागौडजी के यहॉ पेश की गई इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पत्थरगढी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रावधानों के अनुरूप उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2016 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के सीमाज्ञान के दौरान सीमाचिन्ह आई से एल तक 60 मीटर एवं सी से बी तक 48 मीटर पर अपीलान्ट का कब्जा माना गया है तथा पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम दिनांक 20.10.16 प्रस्तुत किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र को पूर्व में बिना निर्णय किये ही अपीलाधीन निर्णय में बिना गुणावगुण के आधार पर खारिज किया गया है। जिससे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायलाय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 111 को गुणावगुण पर निस्तारण करते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।